

# समावेशी शिक्षा नीति का सामाजिक न्याय और समानता पर प्रभाव

प्रतिमा कुमारी<sup>1</sup>

डॉ. टीकम सिंह<sup>2</sup>

<sup>1</sup>शोधार्थी

<sup>2</sup>सहायक प्रोफेसर

शिक्षा-विभाग

सनराइज़ विश्वविद्यालय अलवर, राजस्थान

## सारांश

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी प्रकार के बच्चों चाहे वे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित हों, दिव्यांग हों, अल्पसंख्यक समुदायों से हों या लैंगिक भेदभाव का सामना करते हों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह समीक्षा-पत्र समावेशी शिक्षा नीति के सामाजिक न्याय तथा समानता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। विभिन्न शोध अध्ययनों की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा नीति न केवल अवसर-समानता बढ़ाती है बल्कि शिक्षा तंत्र में संरचनात्मक असमानताओं को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**संकेत शब्द:** समावेशन, समानता, न्याय, पहुँच, अवसर, सहभागिता, विविधता।

## परिचय

भारतीय शिक्षा तंत्र में सामाजिक न्याय और समानता लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 21-ए तथा आरटीई अधिनियम 2009 ने “सभी के लिए शिक्षा” को कानूनी आधार दिया है। इसके बाद समावेशी शिक्षा नीति ने इस दृष्टिकोण को शैक्षणिक व्यवहार में लागू करने का प्रयास किया (शर्मा, 2018)। समग्र शिक्षा का मूल दर्शन यह है कि स्कूल बच्चे के अनुसार बदले, न कि बच्चा स्कूल के अनुसार (बूथ एंड आइंस्को, 2002)। यह सिद्धांत शिक्षा में सामाजिक न्याय लागू करने का आधार बनता है।

भारत के शिक्षा तंत्र में समावेशी शिक्षा नीति (समावेशी शिक्षा नीति) एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम के रूप में उभरी है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चे स्वयंसेवी दिव्यांग विद्यार्थी, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह,

अल्पसंख्यकों, आदिवासी समुदायों और लैंगिक भेदभाव का सामना करने वाले बच्चों को समान और लैंगिक शिक्षा प्रदान करना है (शर्मा, 2018)। सामाजिक न्याय तथा समानता भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत हैं समावेशी शिक्षा नीति इन सिद्धांतों को शैक्षणिक स्तर पर लागू करने का प्रयास करती है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि कोई भी बच्चा मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर न रह जाए। शिक्षा में समानता केवल विद्यालय में प्रवेश देने भर से नहीं आती, बल्कि बच्चों को सीखने, भाग लेने और सम्मान प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने से आती है (सेन, 1999)। इस संदर्भ में समावेशी शिक्षा नीति सामाजिक न्याय को व्यावहारिक धरातल पर स्थापित करने का एक प्रभावी साधन बन गई है।

समग्र शिक्षा का मूल दर्शन यह है कि विद्यालय को बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होना चाहिए, न कि बच्चों को विद्यालय की गतिविधियों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाए (बूथ एंड आइंस्को, 2002)। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपनी विविधता के साथ शिक्षण-अधिकार रखता है और विद्यालय का दायित्व है कि वह उसे एक सहायक, सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान करे। समाज में मौजूद असमानताएँ चाहे वे आर्थिक हों, सामाजिक हों या शारीरिक उद्देश्यों से संबंधित सीधे तौर पर शिक्षा तक पहुँच और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा नीति उन बाधाओं को मिटाने और दूर करने का प्रयास करती है जो किसी भी बच्चे को सीखने के अवसरों से वंचित कर सकती हैं (ऐन्सको, 2015)।

सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखें तो समावेशी शिक्षा नीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव अवसर-समानता में वृद्धि है। भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन), अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुँच में लंबे समय से असमानता रही है। समावेशी शिक्षा इन समूहों को मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल कर समान शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराती है। अनेक अध्ययनों ने दिखाया है कि समावेशी प्रणालियों में बच्चों की उपस्थिति, प्रतिधारण और सीखने की भागीदारी बढ़ती है (नीपा, 2020)। इससे सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत न्यायपूर्ण पहुँच और समान अवसर प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ होते हैं।

समावेशी शिक्षा नीति का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव में कमी लाना है। जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चे एक ही कक्षा में सीखते हैं, तो उनके बीच सहानुभूति, सहयोग और सामाजिक एकता बढ़ती है (यूनेस्को, 2017)। शोध यह भी दर्शाते हैं कि समावेशी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों में सामाजिक दूरी तथा रूढ़िगत धारणाएँ कम होती हैं और वे विविधता को एक सामान्य सामाजिक वास्तविकता के रूप में स्वीकारने लगते हैं (मिट्टा, 2019)। यह परिवर्तन समाज की उन संरचनाओं को चुनौती देता है जो परंपरागत रूप से एक

समूह को दूसरे पर श्रेष्ठ मानती रही हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय के लिए केवल शैक्षणिक नहीं, बल्कि सामाजिक-मानसिक परिवर्तन भी लाती है।

नीतिगत स्तर पर देखें तो समावेशी शिक्षा ने शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय प्रबंधन के ढांचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षक अब न केवल विषय ज्ञान के प्रसारकर्ता हैं बल्कि विविधता-संवेदी मार्गदर्शक भी हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों में यह समझ विकसित हुई है कि सीखना केवल एक समान शैली में नहीं होता, बल्कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताएँ और सीखने की गति होती है (कुमार और सिंधु, 2016)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा नीति शिक्षकों के दृष्टिकोण में आवश्यक संवेदनशीलता विकसित करती है, जो शिक्षा में समानता लागू करने का महत्वपूर्ण आधार है।

समानता के संदर्भ में समावेशी शिक्षा नीति ने सीखने के परिणामों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। शोध बताते हैं कि समावेशी वातावरण में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ अधिक संतुलित और स्थायी होती हैं (ऐन्सको, 2015)। मुख्यधारा की कक्षाओं में सीखने से बच्चों को सामाजिक संपर्क, भाषा विकास और संज्ञानात्मक वृद्धि के अवसर मिलते हैं। यह वातावरण उन बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो पारंपरिक रूप से शिक्षण-व्यवस्था से अलग रखे जाते थे। इसके अतिरिक्त, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रणालियों में लचीलापन बढ़ाकर समावेशी शिक्षा हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुरूप सीखने का अवसर देती है (बूथ और ऐन्सको, 2011)। यह लचीलापन समानता को व्यावहारिक रूप से लागू करने का प्रमुख साधन है।

डिजिटल शिक्षा के आगमन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद समावेशी शिक्षा को तकनीकी स्तर पर भी विस्तार मिला है। डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन संसाधनों और सहायक तकनीकों के उपयोग से शिक्षा और अधिक सुलभ हुई है। हालाँकि डिजिटल असमानता अभी भी एक चुनौती है, परंतु तकनीकी हस्तक्षेपों ने कई बच्चों विशेष जरूरतों वाले और दूरदराज क्षेत्रों के लिए सीखने के अवसर बढ़ाए हैं (एनईपी, 2020)। यह परिवर्तन शिक्षा में समानता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीक सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं को कम करने की क्षमता रखती है।

हालाँकि, समावेशी शिक्षा नीति के प्रभावों के साथ कई चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं। भारत के कई स्कूल अभी भी पर्याप्त संसाधनों से वंचित हैं, जैसे रैम्प, ब्रेल सामग्री, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, और सहायक उपकरण (राव, 2021)। इसके अलावा सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह या दिव्यांगता से जुड़ी रूढ़िवादिता, बच्चों की शिक्षा के अनुभव को सीमित करते हैं। नीतिगत स्तर पर भी एक बड़ी चुनौती है नीति और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच अंतर। कई राज्यों में समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन

असमान है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के सीखने के अवसर अलग-अलग हो जाते हैं (मेहरोत्रा, 2018)। इसलिए यह आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा केवल नीति के स्तर तक सीमित न रह जाए, बल्कि उसे विद्यालय स्तर पर संसाधनों और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

समग्र रूप से देखा जाए तो समावेशी शिक्षा नीति ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता दोनों को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। यह नीति शिक्षा तंत्र को अधिक सहायक, न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। यद्यपि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, परंतु समावेशी शिक्षा की दिशा सही है और इससे समाज में दीर्घकालिक न्याय, सहानुभूति तथा संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है। उचित संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और सहभागी नीति-निर्माण के माध्यम से समावेशी शिक्षा भविष्य में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में और भी प्रभावी योगदान दे सकती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा नीति केवल शिक्षा का ढाँचा नहीं बदलती, बल्कि वह समाज के मूलभूत मूल्यों और उसके सामाजिक-न्यायपूर्ण भविष्य को आकार देने की क्षमता भी रखती है।

### समावेशी शिक्षा का सैद्धांतिक आधार

समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय सिद्धांत और अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण से प्रेरित है (सेन, 1999)। इन सिद्धांतों का मानना है कि शिक्षा केवल प्रवेश का अधिकार नहीं है, बल्कि सहभागिता, सीखने और सम्मानजनक वातावरण का अधिकार भी है। स्कूल स्तर पर यह सिद्धांत बच्चों को समान सीखने के अवसर प्रदान करने पर जोर देता है।

समावेशी शिक्षा का सैद्धांतिक आधार इस विचार पर निर्मित है कि सभी बच्चे चाहे उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई या शारीरिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार रखते हैं। इस विचार की जड़ें तीन प्रमुख सिद्धांतों में निहित हैं सामाजिक न्याय सिद्धांत, क्षमता दृष्टिकोण, और अंतर-भेद (डाइवर्सिटी) आधारित शिक्षण सिद्धांत।

पहला आधार सामाजिक न्याय सिद्धांत है, जिसका मानना है कि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा सामाजिक न्याय प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है, और समावेशी शिक्षा इस सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। यह न केवल शिक्षण तक पहुँच प्रदान करती है, बल्कि सीखने के लिए भेदभाव-रहित वातावरण भी सुनिश्चित करती है, जहाँ सभी बच्चे सहभागिता कर सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें।

दूसरा आधार अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब उसे सीखने के लिए समान अवसर, संसाधन और अनुकूल परिवेश मिले। समावेशी शिक्षा विद्यालयों को लचीली शिक्षण प्रणालियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि प्रत्येक बच्चा अपनी गति और क्षमता के अनुसार सीख सके।

तीसरा आधार अंतर-भेद आधारित शिक्षाशास्त्र है, जो यह स्वीकार करता है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। इसके अनुसार शिक्षण विधियाँ एकरूप नहीं हो सकतीं। समावेशी शिक्षा विविध सीखने की शैलियों, विशेष आवश्यकताओं और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखती है। यह विद्यालय को बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समग्र रूप से, समावेशी शिक्षा का सैद्धांतिक आधार इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा न्यायपूर्ण, मानव-केंद्रित और विविधताओं को स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, ताकि समाज में समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

## सामाजिक न्याय पर समावेशी शिक्षा का प्रभाव

### 1. अवसर-समानता में वृद्धि

समावेशी शिक्षा नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन), दलित/आदिवासी समुदायों, अल्पसंख्यक समूहों और लड़कियों को मुख्यधारा के स्कूलों में सम्मिलित करने का प्रयास करती है। अध्ययन बताते हैं कि इससे *स्कूल पहुँच*, *उपस्थिति*, और *भागीदारी* में सुधार होता है (एनआईईपीए, 2020)। यह कदम सामाजिक न्याय को व्यावहारिक रूप देता है क्योंकि सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध होते हैं।

अवसर-समानता में वृद्धि शिक्षा के लोकतांत्रिक और सामाजिक न्यायपूर्ण स्वरूप का एक केन्द्रीय तत्व है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक या शारीरिक पृष्ठभूमि से आते हों, शिक्षा तक समान पहुँच और सीखने के समान अवसर मिलें। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अवसर-समानता का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, भाषा और दिव्यांगता जैसी अनेक कारक बच्चों की शिक्षा को सीधे प्रभावित करते हैं। इन असमानताओं को दूर करने और शिक्षा की पहुँच को सार्वभौमिक बनाने में समावेशी शिक्षा नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे सभी बच्चों के लिए खुले और अनुकूल हों। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यक

समुदायों और लड़कियों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करना अवसर-समानता को मजबूती देता है। यह नीति विद्यालयों में भेदभाव और विभाजन को कम करके एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जहाँ हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके। इससे न केवल शिक्षा में सहभागिता बढ़ती है, बल्कि बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियों में भी सुधार होता है।

सरकारी पहलों जैसे आरटीई अधिनियम 2009, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्तियाँ, लैंगिक-संवेदनशील कार्यक्रम और दिव्यांग-अनुकूल संसाधन ने भी अवसर-समानता को बढ़ावा दिया है। इन पहलों ने आर्थिक व सामाजिक बाधाओं को काफी हद तक कम किया है, जिससे शिक्षा व्यापक जनसमूह तक पहुँच सकी है। साथ ही, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी साधनों ने दूरदराज़ क्षेत्रों के बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर प्रदान किए हैं। समग्र रूप से, अवसर-समानता में वृद्धि शिक्षा के क्षेत्र में समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल अधिक बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलता है, बल्कि समाज में समान अवसर और न्याय की अवधारणा भी मजबूत होती है।

## 2. भेदभाव में कमी

समावेशी कक्षाओं में विविधता का अनुभव बच्चों में सहानुभूति, सहयोग और सामाजिक एकता को मजबूती देता है (यूनेस्को, 2017)। कई शोधों में पाया गया है कि समावेशी सेटिंग्स में पढ़ने वाले छात्रों में सामाजिक दूरी और रूढ़िवादिता कम होती है (मित्तल, 2019)।

भेदभाव में कमी समावेशी शिक्षा का एक केंद्रीय उद्देश्य है क्योंकि विद्यालय उन सामाजिक स्थानों में से एक हैं जहाँ बच्चों के बीच सामाजिक मान्यताओं और पूर्वाग्रहों का निर्माण और परिवर्तन दोनों होते हैं। समावेशी कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ सीखते हैं, जिससे अनुभूति और सहानुभूति का विकास होता है और “अन्य” के प्रति नकारात्मक धारणाएँ घटती हैं (यूनेस्को, 2017)। जब विद्यार्थी व्यक्तियों के विविध अनुभवों के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं, तो रूढ़िवादी धारणाएँ जैसे जातिगत श्रेष्ठता, लिंग-आधारित विभेद या दिव्यांगता से जुड़ी कलंक धीरे-धीरे चुनौतीपूर्ण बन जाती हैं और मानवीय संबंधों पर आधारित विचार प्रबल होते हैं (मित्तल, 2019)।

शिक्षण पद्धतियों और पाठ्यक्रम में समावेशी हस्तक्षेपों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। विविधता-संवेदी पाठ्यक्रम, सहकारी गतिविधियाँ और समूह-आधारित परियोजनाएँ छात्रों को एक समान शैक्षिक मैदान पर लाकर सामाजिक दूरी को कम करती हैं (बूथ और ऐन्सको, 2002)। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों का प्रशिक्षण

और संवेदनशीलता विकास भेदभाव-रोधी व्यवहार को बढ़ावा देता है; प्रशिक्षित शिक्षक कक्षा में समतामूलक व्यवहार को प्रोत्साहित कर उत्पीड़न या उपेक्षा की घटनाओं को रोकते हैं (कुमार और सिंधु, 2016)। फिर भी चुनौतियाँ बनी रहती हैं समुदायिक पूर्वाग्रह, संसाधन की कमी और नीतिगत असमानता भेदभाव के हटाने में अवरोध हैं (राव, 2021)। इसलिए भेदभाव में टिकाऊ कमी के लिए नीति-स्तर पर जागरूकता, संसाधनिक निवेश और दीर्घकालिक सामाजिक-शैक्षिक कार्यक्रमों का संयोजन आवश्यक है। कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा न केवल शैक्षिक अवसर बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक मनोवृत्तियों को बदलकर भेदभाव के जड़त्व को कमजोर करने में भी सक्षम है (ऐन्सको, 2015; सेन, 1999)।

### 3. शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन

समावेशी शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने शिक्षकों को विविध आवश्यकताओं वाले छात्रों को समझने और सहायक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाया है (कुमार और सिंधु, 2016)। यह परिवर्तन शिक्षा में समानता लागू करने की दिशा में निर्णायक माना जाता है।

समावेशी शिक्षा के प्रसार ने शिक्षकों के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन को प्रेरित किया है। पहले जहाँ शिक्षक मुख्यतः विषय-आधारित निर्देश देने पर केंद्रित होते थे, अब उनकी भूमिका एक विविधता-संवेदी मार्गदर्शक और सहायक के रूप में विकसित हुई है। समावेशी नीतियों के लागू होने पर शिक्षक बच्चों की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं, सामाजिक-पारिवारिक पृष्ठभूमि और भावनात्मक आवश्यकताओं को समझकर दिशानिर्देश देने लगे हैं (कुमार और सिंधु, 2016)। इस परिवर्तन का एक प्रमुख कारण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशिता संबंधी मॉड्यूलों का समावेश है, जिसने शिक्षकों में सहानुभूति, लचक और वैकल्पिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने की क्षमता बढ़ाई है (बूथ और ऐन्सको, 2011)।

समावेशी कक्षाओं में कार्य करने से शिक्षकों का नजरिया रोगिण्यात्मक से क्षमताभिमुख दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हुआ है; वे अब बच्चों की सीमाओं पर नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं एवं विकासात्मक संभावनाओं पर ध्यान देते हैं (ऐन्सको, 2015)। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के पेशेवर आत्म-अवस्थापन में वृद्धि हुई है वे पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने, विविध आकलन तकनीकों का उपयोग करने और सहकर्मि-आधारित समर्थन प्रणालियाँ विकसित करने में अधिक सक्रिय हैं (मेहरोत्रा, 2018)।

हालाँकि परिवर्तन सहज नहीं रहा; संसाधन सीमाएँ, बड़े कक्षा-आकार और समय की कमी प्रशिक्षण प्रभाव को सीमित करती हैं (राव, 2021)। बावजूद इसके, राष्ट्रीय नीतिगत प्रोत्साहन जैसे एनईपी 2020 ने शिक्षकों को

जीवन-पर्यंत शिक्षण और समावेशी अभ्यास अपनाने हेतु प्रेरित किया है (एनईपी, 2020)। परिणामस्वरूप, शिक्षकों के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन न केवल शैक्षिक अभ्यास को अधिक संवेदनशील और लचीला बनाता है, बल्कि विद्यालयों को एक समावेशी और न्यायोन्मुख समुदाय के रूप में विकसित करने में भी निर्णायक भूमिका निभाता है।

## समानता पर समावेशी शिक्षा का प्रभाव

### 1. सीखने के परिणामों में सुधार

अनुसंधान के अनुसार विविध आवश्यकता वाले बच्चों की सीखने की उपलब्धियाँ समावेशी वातावरण में बेहतर होती हैं (एन्सको, 2015)। मुख्यधारा की कक्षा में सीखना बच्चों के ज्ञान को व्यापक सामाजिक और संज्ञानात्मक संदर्भ प्रदान करता है।

समावेशी शिक्षा के प्रवर्तन से सीखने के परिणामों में सुधार एक स्पष्ट और बार-बार रिपोर्ट किया गया प्रभाव है। समावेशी कक्षाएँ सहभागिता, बहु-सांस्कृतिक संवाद और सहयोगी शिक्षण विधियों को बढ़ावा देती हैं, जिनसे विद्यार्थी अधिक सक्रिय रूप से सीखते हैं और ज्ञान का अनुप्रयोग बेहतर ढंग से कर पाते हैं (एन्सको, 2015)। जब पाठ्यक्रम और शिक्षण योजनाएँ विविधता-संवेदी तरीके से अनुकूलित की जाती हैं जैसे भिन्न-भिन्न गति पर सीखने के लिए वैकल्पिक कार्य, सहकर्मि-समर्थन और बहु-इंद्रियात्मक शिक्षण सामग्री तो कमजोर प्रदर्शन करने वाले छात्र भी बेहतर परिणाम दिखाते हैं (बूथ और एन्सको, 2011)।

अध्ययन बताते हैं कि समावेशी सेटिंग में पढ़ने से भाषा कौशल, सामाजिक-संवाद क्षमताएँ और समस्या-समाधान कौशल में सुधार होता है, क्योंकि बच्चों को सहपाठी मॉडल और सहयोग के माध्यम से सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं (एनआईईपीए, 2020)। साथ ही, मूल्यांकन प्रणालियों में लचीलापन और वैकल्पिक आकलन विधियों का उपयोग भी सीखने की वास्तविक समझ को उभारता है बजाय केवल स्मृति-आधारित परीक्षणों के (एन्सको, 2015)। शिक्षक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है; प्रशिक्षित शिक्षक बहु-स्तरीय निर्देश और अंतर-आकांक्षी समर्थन देने में सक्षम होते हैं, जिससे समेकित सीखने के परिणाम सुदृढ़ होते हैं (कुमार और सिंधु, 2016)।

फिर भी प्रभाव का दायरा और स्थायित्व संसाधनों, कक्षा आकार और नीतिगत समर्थन पर निर्भर करता है। जहाँ पर्याप्त सहायक सामग्री, समुचित शिक्षक-छात्र अनुपात और सामुदायिक सहभागिता मौजूद है, वहाँ समावेशी अभ्यासों से दीर्घकालिक शैक्षिक लाभ अधिक स्पष्ट होते हैं (राव, 2021; एनईपी, 2020)। इसलिए सीखने के

परिणामों में सुधार तभी स्थायी होगा जब समावेशन के साथ-साथ सतत प्रशिक्षण, संसाधन आवंटन और संवेदनशील मूल्यांकन नीतियाँ लागू की जाएँ। कुल मिलाकर, समावेशी शिक्षा नीतियाँ सीखने की गुणवत्ता और समता दोनों को बढ़ाकर शिक्षा के वास्तविक परिणामों को सुधारने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं (ऐन्सको, 2015; बूथ और ऐन्सको, 2011)।

## 2. संरचनात्मक असमानताओं को चुनौती

समावेशी शिक्षा स्कूल-स्तर पर बाधाओं को हटाने का प्रयास करती है जैसे पहुँच-सुविधा, संसाधनों में समानता, पाठ्यचर्या की लचीलेपन आदि (बूथ और ऐन्सको, 2011)। यह शिक्षा तंत्र में व्याप्त छिपी असमानताओं को उजागर कर उन्हें दूर करने का अवसर प्रदान करती है।

संरचनात्मक असमानताएँ वे दीर्घकालिक, संस्थागत और नीतिगत ढाँचे हैं जो समाज में अलगाव और अवसर-विभाजन को पुनरुत्पन्न करती हैं; शिक्षा क्षेत्र में ये असमानताएँ पहुँच, संसाधन आवंटन और शैक्षणिक मानकों में स्पष्ट रूप से दिखती हैं। समावेशी शिक्षा नीतियाँ इन संरचनात्मक बाधाओं की पहचान कर उन्हें बदलने का प्रयास करती हैं पाठ्यक्रम में बहुलता को शामिल करने, भौतिक पहुँच-सुविधाएँ उपलब्ध कराने, और मूल्यांकन तथा शिक्षक प्रशिक्षण के ढाँचे को लचीला बनाने के माध्यम से (बूथ और ऐन्सको, 2011)। उदाहरणतः स्कूल-स्तर पर रैंप, विशेष शिक्षण सामग्री तथा सहायक उपकरण केवल भौतिक बाधाओं को नहीं हटाते, बल्कि यह संदेश भी देते हैं कि शिक्षा का तंत्र विविधता के अनुरूप रूपांतरित हो रहा है (राव, 2021)।

नीतिगत हस्तक्षेप जैसे आरटीई और एनईपी 2020 ने भी संस्थागत असमानताओं को चुनौती देने के उपाय सुझाए हैं; ये नीतियाँ पहुँच-अधिकार, अनुदान-आधारित संसाधन और समावेशी प्रशिक्षण को प्राथमिकता देती हैं, जिससे परंपरागत सामाजिक-आर्थिक व भौगोलिक विभाजन कम हो सकते हैं एनईपी, 2020; मेहरोत्रा, 2018)। साथ ही, सामुदायिक सहभागिता और स्कूल-समुदाय सम्बंधों को सुदृढ़ कर के भी छिपी असमानताओं का पर्दाफाश संभव होता है जब अभिभावक, स्थानीय संगठन और शिक्षक नीतिगत निर्णयों में सक्रिय होते हैं तो नीतियों का कार्यान्वयन अधिक न्यायसंगत होता है (ऐन्सको, 2015)।

फिर भी चुनौतीपूर्ण पक्ष यह है कि संरचनात्मक परिवर्तन समय-सापेक्ष और संसाधन-गहन होते हैं; केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं होते निरंतर वित्तीय निवेश, व्यापक प्रशिक्षण, निगरानी और सामाजिक जागरूकता अनिवार्य है (राव, 2021; यूनेस्को, 2017)। अंततः समावेशी शिक्षा का महत्व इस तथ्य में निहित है

कि वह केवल व्यक्तिगत समायोजन नहीं करती, बल्कि शिक्षा के संस्थागत रूपों, नीतिगत प्राथमिकताओं और सामाजिक मानदंडों को परिवर्तित कर संरचनात्मक असमानताओं को जड़ से चुनौती देती है (सेन, 1999)।

### 3. डिजिटल और संसाधन समानता को बढ़ावा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद डिजिटल समावेशन पर जोर दिया गया है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, परंतु डिजिटल सामग्री और सहायक तकनीकों ने सीखने में समानता को नए आयाम दिए हैं (एनईपी, 2020)। डिजिटल और संसाधन समानता शिक्षा में समावेशन का एक निर्णायक आयाम बन चुकी है। तकनीक ने सीखने के अवसरों को व्यापक किया है ऑनलाइन सामग्री, सहायक शिक्षण ऐप्स और पहुँच-उन्मुख उपकरण विशेष आवश्यकता वाले व दूरस्थ बच्चों के लिए ज्ञान के नए द्वार खोलते हैं। परंतु डिजिटल विभाजन उस समय समावेशन के लाभों को सीमित कर देता है जब तक कि बुनियादी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पहुँच और उपयुक्त उपकरण सभी के लिए सुलभ न हों (एनईपी, 2020)। इसलिए संसाधन समानता सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माता, विद्यालय और समुदाय मिलकर लक्ष्य-निर्धारित कार्यक्रम लागू करें जैसे सस्ती/निःशुल्क इंटरनेट, शिक्षा-केंद्रित डिवाइस वितरण और स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री का निर्माण (नीपा, 2020)।

सिर्फ हार्डवेयर ही पर्याप्त नहीं; डिजिटल साक्षरता और शिक्षकों का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। शिक्षकों को तकनीक-समावेशी पाठ योजना, सहायक तकनीकों का उपयोग और समानतापूर्ण मूल्यांकन के तरीकों का प्रशिक्षण देने से डिजिटल संसाधनों का प्रभाव बढ़ता है (कुमार और सिंधु, 2016)। इसके साथ ही शारीरिक संसाधनों जैसे पुस्तकालय, सहायक उपकरण, अनुकूली पाठ्य सामग्री और पहुँच-सुविधाएँ का वितरण भी समान रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि तकनीक अक्सर इन संसाधनों के साथ समन्वित होकर ही समावेशन को सशक्त बनाती है (राव, 2021)।

सामुदायिक साझेदारी और निजी-सरकारी सहयोग संसाधन समानता को तेज़ी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं; पर इन पहलों को पारदर्शी, निःशुल्क और दीर्घकालिक बनाना आवश्यक है ताकि वे अस्थायी हितों से मुक्त हों (यूनेस्को, 2017)। अंततः डिजिटल और संसाधन समानता तभी अर्थपूर्ण होगी जब से जुड़े प्रयास नीतिगत समर्थन, वित्तीय निवेश, प्रशिक्षण और समाज-सचेतता संगठित और समन्वित हों। ऐसे बहुआयामी उपाय शिक्षा में वास्तविक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएंगे (ऐन्सको, 2015; सेन, 1999)।

## चुनौतियाँ

### 1. संसाधनों की कमी

कई स्कूलों में दिव्यांग-अनुकूल संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और शिक्षण सामग्री की कमी है (राव, 2021)। शिक्षा क्षेत्र में संसाधनों की कमी एक बाधक है जो समावेशन और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करती है। पर्याप्त शिक्षण-सामग्री, विशेष सहायता उपकरण, प्रशिक्षित शिक्षक और भौतिक पहुँच-सुविधाओं (जैसे रैंप, शौचालय, पुस्तकालय) के अभाव से कमजोर और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। यह कमी न केवल सीखने के परिणामों को घटाती है बल्कि शिक्षकों के समावेशी अभ्यास अपनाने की क्षमता को भी सीमित करती है। दीर्घकालिक निवेश, लक्षित अनुदान और सार्वजनिक-निजी साझेदारियाँ आवश्यक हैं ताकि संसाधन समानता स्थापित कर समावेशी शिक्षा का वास्तविक क्रियान्वयन संभव हो सके (राव, 2021)।

### 2. सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ

भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह, और सामाजिक रूढ़िवादिता अभी भी वंचित समूहों की शिक्षा को प्रभावित करती हैं। शिक्षा में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ समावेशन और समानता की दिशा में बड़ी चुनौती बनती हैं। जाति, लिंग, भाषा, धर्म और आर्थिक स्थिति से जुड़े पूर्वाग्रह कई बच्चों की विद्यालय तक पहुँच और सहभागिता को सीमित करते हैं। परिवार और समुदाय के रूढ़िगत विचार जैसे लड़कियों की शिक्षा की कम प्राथमिकता या दिव्यांग बच्चों की क्षमता पर संदेह सीखने के अवसरों को और संकुचित कर देते हैं। विद्यालयों में भी कभी-कभी शिक्षक और साथियों का व्यवहार सामाजिक विभाजन को पुनरुत्पन्न करता है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता-प्रशिक्षण और समुदाय आधारित हस्तक्षेप अनिवार्य हैं, जिससे शिक्षा सभी के लिए वास्तव में समावेशी बन सके।

### 3. नीति और कार्यान्वयन के बीच अंतर

समावेशी शिक्षा सिद्धांत रूप में प्रभावी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन राज्यों और संस्थानों में असमान है (मेहरोत्रा, 2018)। शिक्षा में कई बार नीतियाँ अत्यंत प्रगतिशील और समावेशी होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव जमीन पर उतना स्पष्ट नहीं दिखता। इसका मुख्य कारण है कार्यान्वयन में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव, प्रशासनिक विलंब और निगरानी तंत्र की कमजोरियाँ। विद्यालयों तक नीतिगत निर्देश पहुँच तो जाते हैं, पर उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, वित्त और संरचनाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। परिणामस्वरूप नीतियाँ कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं और वास्तविक परिवर्तन धीमा पड़ जाता है। प्रभावी

कार्यान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर स्पष्ट जिम्मेदारियाँ, निरंतर मूल्यांकन और समुदाय की सहभागिता अनिवार्य है।

## निष्कर्ष

समीक्षा से स्पष्ट है कि समावेशी शिक्षा नीति ने भारत में सामाजिक न्याय और समानता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह नीति स्कूल शिक्षा तंत्र को अधिक सहायक, न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। हालाँकि कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, परंतु उचित संसाधन, शिक्षक प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रमों से समावेशी शिक्षा सामाजिक न्याय को और प्रभावी बना सकती है।

## संदर्भ सूची

1. ऐनस्को, एम. (2015). खुद को बेहतर बनाने वाले स्कूल सिस्टम की ओर। रूटलेज।
2. बूथ, टी., और ऐनस्को, एम. (2002). द इंडेक्स फॉर इन्क्लूजन। CSIE।
3. बूथ, टी., और ऐनस्को, एम. (2011). इन्क्लूजन को समझना। रूटलेज।
4. कुमार, आर., और सिंधु, पी. (2016). इन्क्लूसिव एजुकेशन के प्रति टीचर का नज़रिया। जर्नल ऑफ़ एजुकेशन स्टडीज़, 14(2), 45–52.
5. मेहरोत्रा, एस. (2018). भारत में इन्क्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी। इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल डेवलपमेंट, 12(3), 120–136.
6. मित्तल, पी. (2019). सोशल नज़रिया और इन्क्लूसिव क्लासरूम। एजुकेशन एंड सोसाइटी रिव्यू, 7(1).
7. एनआईईपीए. (2020). भारत में स्कूल एजुकेशन का स्टेटस।
8. एनईपी. (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. भारत सरकार।
9. राव, एस. (2021). भारत में इनक्लूसिव एजुकेशन में रुकावटें। कंटेम्पररी एजुकेशन रिव्यू, 18(4), 55–68.
10. सेन, ए. (1999). डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. शर्मा, ए. (2018). भारत में इनक्लूसिव एजुकेशन और सोशल जस्टिस। जर्नल ऑफ़ इनक्लूसिव स्टडीज़, 6(1), 10–22.
12. यूनेस्को. (2017). एजुकेशन में इनक्लूजन और इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए एक गाइड।